



151

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर, C.F. 151

पुनरीक्षण क्रमांक / 2008

जगदीश प्रसाद चौरहा पुत्र श्री स्व. श्री बैजनाथ चौरहा, निवासी-टिकुरिया मौहल्ला पन्ना (म.प्र.)

— आवेदक

बनाम

श्रीमती गयादेवी मिश्रा पत्नी स्व. श्री रामप्रसाद मिश्रा, निवासी-कबाड़ी टोला, सतना, तहसील व जिला सतना (म.प्र.)

— अनावेदक

नगर पालिका परिषद पन्ना द्वारा भवन नामांतरण प्रकरण क्रमांक 57 नामांतरण वर्ष 1998-99, में की गई नामांतरण कार्यवाही एवं पारित नामांतरण आदेश दिनांक 24/10/2008 के विरुद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 331 के अधीन पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है :-

प्रकरण के तथ्य :-

- 1- यह कि, आवेदक एवं अनावेदिका की कथित मां मुस. महारानी विधवा किशोर प्रसाद चौरहा के संयुक्त, स्वत्व एवं आधिपत्य का पुश्तैनी रिहायशी भवन टिकुरिया मौहल्ला, वार्ड क्रमांक-1, पन्ना में स्थित है। जिसका भवन क्रमांक-35 के रूप में नगर पालिका परिषद पन्ना में गृहकर, पंजी में इन्द्रांज है। उपर्युक्त भवन का आवेदक एवं मुस. महारानी के मध्य आपसी सहमति के आधार पर वाहमी बंटवारा लगभग 40 वर्ष पूर्व हुआ था। तदानुसार भवन क्रमांक-35/1, मुस. महारानी को एवं 35/3 तथा भवन क्रमांक 35/1, 35/2 एवं 35/3, से सटी हुई खुली भूमि आवेदक को प्राप्त हुई थी। मुस0 महारानी एवं आवेदक का विवादित सम्पत्ति भवन क्रमांक-35/2 पर संयुक्त स्वत्व व आधिपत्य था एवं आवेदक उक्त भवन में संयुक्त रूप से विस्तार करता आ रहा था।
2. यह कि, मुस. महारानी के दिनांक 05/06/94 को स्वर्गवास उपरांत अनावेदिका के पुत्र विजय कुमार मिश्रा के माध्यम से दिनांक 19/03/99

1/12

